फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 15.11.2023

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 25000/- रुपये के इनामी वाँछित अपराधी को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 406/23 धारा 307/504 भा0द0वि0 में वांछित हिस्ट्रीशीटर व 25000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त शिवम उर्फ छुआरा पुत्र भैयालाल निवासी कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा ,01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर की बरामदगी करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 13.08.2023 को वादिया द्वारा थाना मऊदरवाजा पर तहरीर दी गयी की उसके पुत्र गौरव गुप्ता को जान से मारने की नीयत से शिवम उर्फ छुआरा व उसके साथियो द्वारा तमंचे से फायर किया जिसके सम्बन्ध में थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 406/23 धारा 307/504 भादवि0 पंजीकृत हुआ। जिसके बाद थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम उर्फ छुआरा की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे ।अभियुक्त शिवम उर्फ छुआरा शातिर किश्म का अपराधी है जिसके द्वारा जमानत पर रहते जमानत की शर्तो का उल्लंन करते हुए उक्त अपराध को कारित किया गया था तथा जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय द्वारा 25000/- रुपयों का इनाम घोषित किया गया था।** दिनांक 15.11.2023 को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधी शिवम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर की घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शिवम उर्फ छुआरा पुत्र भैयालाल निवासी कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा,जनपद फतेहगढ़ थाना मऊदरवाजा का ए क्लास हिस्ट्रीशीटर अपराधी है तथा पूर्व में उसके द्वारा जनपद फतेहगढ़ के विभिन्न थानों में अपराध कारित किये गये हैं । जनवरी वर्ष 2020 में काशीराम कालौनी हैवतपुर गढ़िया में अभियुक्त शिवम उर्फ छुआरा उपरोक्त ने अपने साथी गगन दुबे, ऋषभ दुबे, सागर आदि साथियो के साथ मिलकर किन्नर शबाब उर्फ अंजली की सरेआम अवैध तमंचो से तबाड़-तोड़ गोलिया चलाकर हत्या कर दी थी तथा जिसमे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए में उपरोक्त अभियुक्त को उसके साथियो के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। दिनांक 07.11.2021 को जिला कारागार फतेहगढ़ में कारावास के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से जेल में ही उपद्रव करके पुलिस कर्मियों पर हमला करके भागने का प्रयास किया गया था।

पूछताछ का विवरण– अभियुक्त शिवम उर्फ छुआरा ने पूछने करने पर बताया कि साहब दिनांक 12.08.2023 की शाम को चौरसिया पान वाले की दुकान के पास मैने तथा सागर गुप्ता ने मोहल्ला ढुइया के अंकुर बाथम के ऊपर रजिंशन तमंचे से फायर कर दिया था, हलचल मचने के बाद मैं मौके से भागकर अपने घर चला गया था। बाद मैं मुझे पता चला कि अंकुर बाथम मुझसे बदला लेने के लिये निकला था तथा मुझे समझ कर गौरव गुप्ता के गोली मार कर घायल कर दिया था। साहब मैंने तथा सागर ने तमंचा व कारतूस को अपनी कालोनी के पीछे बनी मस्जिद के बगल में खाली प्लाट के अन्दर मिट्टी में छिपा दिया था, जिसको मैने आपको बरामद करवा दिया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शिवम उर्फ छुआरा पुत्र भैयालाल निवासी कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 0424/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 0693/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 0162/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
4. मु0अ0सं0 0199/20 धारा 147/148/149/302 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
5. मु0अ0सं0 0208/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
6. मु0अ0सं0 0413/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 (गैगेंस्टर एक्ट) थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
7. मु0अ0सं0 396/21 धारा 7 CLA Act,120बी/147/148/149/307/323/332/336/353/395/397/412/436/504/506 भा0द0वि0 व 3(2)क सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
8. मु0अ0सं0 106/23 धारा 3(1)(घ),3(1)द SC/ST Act व 323/504 भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
9. मु0अ0सं0 406/23 धारा 307/504 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़

बरामदगी विवरण:-

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

1. प्र0नि0 श्री आमोद कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री दिलीप कंचन
3. का0 लायक सिंह
4. का0 भूपेन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 15.11.2023

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा दिनांक 14.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त ऋषि उर्फ शेट्टी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद राजपूत नि0 मो0 शमशेर खानी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्य की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.ऋषि उर्फ शेट्टी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद राजपूत नि0 मो0 शमशेर खानी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ विवरण अभियुक्त ऋषि उर्फ शेट्टी उपरोक्तः-

अभियुक्त ऋषि उर्फ शेट्टी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद राजपूत नि0 मो0 शमशेर खानी थाना मऊदरवाजा द्वारा पूछताठ करने पर बताया गया कि साहब त्यौहारों के समय मौहल्ले में अपना भौकाल बनाने के लिये मैने तमंचा ले रखा था, लेकिन किसी ने पुलिस को खबर कर मुझे पकड़वा दिया। मुझसे गलती हो गयी है मुझे माफ कर दो।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ऋषि उर्फ शेट्टी उपरोक्तः-

1. मु.0अ0सं0 478/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद
2. अन्य थाना जात से जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

बरामद करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिसः

1. प्र0नि0 श्री आमोद कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री दिलीप कंचन
3. का0 लायक सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़

BLOW HORN